न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या 202 से 237 तक

अर्न्तगत धारा–198(4) ज0वि0अ0
ग्राम पण्डरी परगना अमेठी
तहसील गौरीगंज जिला
सुलतानपुर ।

सरकार वनाम बीरेन्द्र प्रताप आदि ।

निर्णय

कृषि आवंटन पटटा निरस्तीकरण की प्रस्तुत कार्यवाही उपजिलाधिकारी गौरीगंज सुलतानपुर की आख्या के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रारम्भ की गयी । उपजिलाधिकारी गौरीगंज की आख्या के अनुसार निम्न आवंटियों को उनके नाम के सामने अंकित भूमि का भूमि प्रवन्धक समिति के प्रस्ताव के आधार पर कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया है। ग्राम में चकवन्दी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तथा धारा–52 जोत चकवन्दी अधिनियम का प्रकाशन हो चुका है। विवादित भूमि जोत चकवन्दी आकार पत्र–45 में तालाव के खाते में अंकित है।उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तालाव पर किये गये कृषि आवंटन को निरस्त किया जाना न्याय संगत है। तालाव की भूमि ज0वि0अ0 की धारा–132 की भूमि है जिसपर किसी भी व्यक्ति को कोई भी भौमिक अधिकार प्राप्त नही हो सकता है। ज0वि0अ0 की धारा–132 में यह भी उल्लिखित है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिस प्रयोजन के लिये सुरक्षित की गयी है अथवा अभिलेखों में अंकित है उसका प्रयोग उसी रूप में किया जायेगा ।समस्त आवंटियों को एक ही ग्राम के तालाव की भूमि को कृषि आवंटन किया गया है। जिसके कारण पत्रावलियो को एकजाई किया जाता है। आवंटियों का विवरण निम्न प्रकार है।

कमांक	आवंटी का नाम व पता	गाटा संख्या	रकवा
1	बीरेन्द्र प्रताप सुत राम खेलावन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि 196मि	0..190हे0 0.063 हे0
2	राम नरायन सुत वद्री निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.316 हे0
3	रामलाल सुत रामधनी निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	249मि	0.126 हे0
4	राम खेलावन सुत राम अधार निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	211मि 222मि	0.051 हे0 0.253 हे0
5	राम कृपाल ,अमर बहादुर पुत्रगण जगदेव, द्रोपदी वेवा जगदेव निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	222मि	0.101 हे0
6	झीगुर सुत रधुबर निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	222मि	0.101 हे0
7	राम दुलारे सुत बीपत निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	693मि	0.126 हे0
8	सूरसती पत्नी दूधनाथ निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	693मि	0.253 हे0
9	अछैवर लाल सुत जगनरायन यादव निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.136 हे0
10	माताफेर सुत शिवपाल व माता प्रसाद ,सन्त प्रसाद सुतगण अवध विहारी , माताफेर सुत शिव बालक	1022मि	0.059 हे0

	निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।		
11	श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी सूर्यपाल यादव निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	699मि	0.101 हे0
12	सूर्यपाल सुत रघुबर निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	699मि	0.051 हे0
13	हरि प्रसाद सुत झगरू व शिवदर्शन व महेश प्रताप सुतगण विश्वनाथ, राम नेवाज सुत रघुवर , कालिका प्रसाद सुत राम दुलारे , बृजेश कुमार ,राजेश कुमार सुरेश कुमार सुतगण सूर्यपाल , ओम प्रकाश सुत दयाराम ,राज कुमार सुत शिवदर्शन ,रमाकान्त व रमापति सुतगण संकठा प्रसाद , सर्वेश कुमार व राज कुमार सुतगण लक्ष्मीकान्त निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	376मि	0.063 हे0
14	ददन सुत राम सरन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	869मि	0.228 हे0
15	राम प्रसाद सुत मेडई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	905मि	0.101 हे0
16	राम खेलावन , व रन्तिदेव व उदयराज व, दिनेश कुमार सुतगण राम सुख व पन्ना देवी पत्नी राम सुख निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.190 हे0
17	भारत सुत सीताराम निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.126 हे0
18	श्रीमती रामपती पत्नी हीरालाल निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696 मि 699मि 559 मि	0.051 हे0 0.139 हे0 0.051 हे0
19	रोशन ,सोहन,व राम सिह सुतगण सूर्यदीन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.126 हे0
20	मु0 मुरैला पत्नी मतई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924 मि	0.101 हे0
21	जगरूप सुत शीतल निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	693 मि	0.126 हे0
22	नन्हे प्रसाद सुत राम सेवक निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.038 हे0
23	राम नरेश, राम सजीवन सुतगण द्वारिका निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.101 हे0
24	रामदास सुत जगई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.101 हे0
25	नन्हे प्रसाद सुत राम सिधार निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	222मि	0.101 हे0
26	सूर्यदीन सुत भगवानदीन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0

27	महादेव सुत राम चरन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0
28	दशरथ पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0
29	वीपत सुत सीताराम निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0
30	श्रीमती शिवकली पत्नी राम भवन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि 249 मि	0.190 हे0 0.126 हे0
31	विजयपाल सुत पयाग निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि	0.190 हे0
32	चन्द्रकली पत्नी राम दुलारे निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.253 हे0
33	मो0 जव्वार सुत मो0 हनीफ निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	376मि	0.063 हे0
34	देवनरायन ,राजनरायन सुतगण महराजदीन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.190 हे0
35	बुधिराम सुत सुकई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.063 हे0
36	सुरेन्द्र प्रताप सुत केदारनाथ निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि	0.190 हे0

उपजिलाधिकारी गौरीगंज की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–45 के खाता संख्या 525 में विवादित भूमि तालाव के खाते में अंकित है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कव्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है। तालाव या तो अप्रयोग के कारण या हितवद्व व्यक्तियों के द्वारा उसमें मिटटी भरकरके सक्रिय प्रयास के द्वारा सूख गये है । इस न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कव्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई

प्राधिकारी तालाव के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, तो उक्त आवंटन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई, 1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व तालाब के खाते की भूमि थी। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी गौरीगंज के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर आवंटन/ इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार स्थित भूमि ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर के निम्न आवंटियों का उनके नाम के सामने अंकित भूमि व क्षेत्रफल का कृषि आवंटन/ इन्द्राज निरस्त किया जाता है।

कमांक	आवंटी का नाम व पता	गाटा संख्या	रकवा
1	बीरेन्द्र प्रताप सुत राम खेलावन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि 196मि	0..190हे0 0.063 हे0
2	राम नरायन सुत वद्री निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.316 हे0
3	रामलाल सुत रामधनी निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	249मि	0.126 हे0
4	राम खेलावन सुत राम अधार निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	211मि 222मि	0.051 हे0 0.253 हे0
5	राम कृपाल ,अमर बहादुर पुत्रगण जगदेव, द्रोपदी वेवा जगदेव निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	222मि	0.101 हे0
6	झीगुर सुत रधुबर निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	222मि	0.101 हे0
7	राम दुलारे सुत बीपत निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	693मि	0.126 हे0
8	सूरसती पत्नी दूधनाथ निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	693मि	0.253 हे0
9	अछैवर लाल सुत जगनरायन यादव निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.136 हे0
10	माताफेर सुत शिवपाल व माता प्रसाद ,सन्त प्रसाद सुतगण अवध विहारी , माताफेर सुत शिव बालक निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	1022मि	0.059 हे0
11	श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी सूर्यपाल यादव निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	699मि	0.101 हे0
12	सूर्यपाल सुत रघुबर निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी	699मि	0.051 हे0

	तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।		
13	हरि प्रसाद सुत झगरू व शिवदर्शन व महेश प्रताप सुतगण विश्वनाथ, राम नेवाज सुत रघुवर , कालिका प्रसाद सुत राम दुलारे , बृजेश कुमार ,राजेश कुमार सुरेश कुमार सुतगण सूर्यपाल , ओम प्रकाश सुत दयाराम ,राज कुमार सुत शिवदर्शन ,रमाकान्त व रमापति सुतगण संकठा प्रसाद , सर्वेश कुमार व राज कुमार सुतगण लक्ष्मीकान्त निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	376मि	0.063 हे0
14	दददन सुत राम सरन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	869मि	0.228 हे0
15	राम प्रसाद सुत मेडई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	905मि	0.101 हे0
16	राम खेलावन , व रन्तिदेव व उदयराज व, दिनेश कुमार सुतगण राम सुख व पन्ना देवी पत्नी राम सुख निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.190 हे0
17	भारत सुत सीताराम निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.126 हे0
18	श्रीमती रामपती पत्नी हीरालाल निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696 मि 699मि 559 मि	0.051 हे0 0.139 हे0 0.051 हे0
19	रोशन ,सोहन,व राम सिह सुतगण सूर्यदीन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.126 हे0
20	मु0 मुरैला पत्नी मतई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924 मि	0.101 हे0
21	जगरूप सुत शीतल निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	693 मि	0.126 हे0
22	नन्हे प्रसाद सुत राम सेवक निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.038 हे0
23	राम नरेश, राम सजीवन सुतगण द्वारिका निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.101 हे0
24	रामदास सुत जगई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.101 हे0
25	नन्हे प्रसाद सुत राम सिधार निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	222मि	0.101 हे0
26	सूर्यदीन सुत भगवानदीन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0
27	महादेव सुत राम चरन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0
28	दशरथ पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0
29	वीपत सुत सीताराम निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.101 हे0

30	श्रीमती शिवकली पत्नी राम भवन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि 249 मि	0.190 हे0 0.126 हे0
31	विजयपाल सुत पयाग निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि	0.190 हे0
32	चन्द्रकली पत्नी राम दुलारे निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	196मि	0.253 हे0
33	मो0 जव्वार सुत मो0 हनीफ निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	376मि	0.063 हे0
34	देवनरायन ,राजनरायन सुतगण महराजदीन निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	924मि	0.190 हे0
35	बुधिराम सुत सुकई निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	696मि	0.063 हे0
36	सुरेन्द्र प्रताप सुत केदारनाथ निवासी ग्राम पण्डरी परगना अमेठी तहसील गौरीगंज जिला सुलतानपुर ।	13मि	0.190 हे0

भूमि गावसभा के तालाव के खाते में निहित की जाती है।आदेश की प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी गौरीगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
12.10.2006

न्यायालय जिलाधिकारी सुलतानपुर ।

वाद संख्या

विविध प्रार्थना पत्र
ग्राम बैसडा परगना अमेठी
विकास खण्ड भेटुआ तहसील
अमेठी जिला सुलतानपुर ।

गायत्री देवी वनाम सरकार एवं अन्य ।

निर्णय

प्रार्थिनी गायत्रीदेवी पत्नी राजनरायन पान्डेय ग्राम पंचायत बैसडा, विकास खण्ड भेटुआ जनपद सुलतानपुर के द्वारा दिनांक 6.10.2006 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या 7944(एस.एस)2006 में पारित आदेश दिनांक 25.9.2006 की प्रतिलिपि की छाया प्रति के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी ग्राम पंचायत वैसडा विकास खण्ड भेटुआ जनपद सुलतानपुर की निवासिनी है। उसे ग्राम शिक्षा समिति एव जिला चयन समिति के द्वारा शिक्षामित्र चयन में अनिमितता के कारण उसकी नियुक्ति नही की गयी है। इसी अनुसार सुनवाई करके शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति करने की याचना की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.9.2006 को निर्देशित किया गया है कि अभिलेख मंगाकर पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार आदेश पारित किया जाय ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी सम्वन्धित पक्षों को दिनांक 12.10.2006 की तिथि पर सुनवाई हेतु सूचना दी गयी । पक्षगण उपस्थित आये तथा अपने अपने तर्कों को रखा । ग्रम बैसडा की शिक्षा मित्र की पत्रावली को तलव करके उसका अवलोकन किया । सुनवाई के समय गायत्री देवी की तरफ से फोटो स्टेट कापी , अंकपत्र हाई स्कूल वर्ष 1989 अनुक्रमांक 1387600 (परीक्षार्थी का नाम जानकी देवी), फोटो स्टेट कापी ट्रेजरी चालान मय रिर्पोट वास्ते प्राप्त करने द्वितीय अंक पत्र वावत अनुक्रमांक 1387600 दिनांक 19.9.2006, इण्टर मीडिएट अंकपत्र की फोटो कापी अनुक्रमांक 607863 वर्ष 1991 (परीक्षार्थी का नाम जानकी देवी) , फोटो स्टेट कापी ट्रेजरी चालान दिनांक 19.9.2006 वावत प्राप्त करने द्वितीय अंक पत्र अनुक्रमांक 607863 , फोटो कापी अंक पत्र इण्टर मीडिएट अनुक्रमांक 503629 वर्ष 2003 परीक्षार्थी का नाम कुमारी मीरादेवी , इण्टर मीडिएट परीक्षा वर्ष 2003 द्वितीय अंक पत्र परीक्षार्थी का नाम कुमारी मीरा देवी , हाई स्कूल अंक पत्र वर्ष 2001 अनुक्रमांक 1294812 (परीक्षार्थी का नाम कुमारी मीरादेवी की छाया प्रति) तथा द्वितीय प्राप्तांक पत्र हाई स्कूल परीक्षा सनू 2001 अनुक्रमांक न0 1294812 परीक्षार्थी का नाम कुमारी मीरादेवी दाखिल किया गया है। अभ्यर्थी मीरादेवी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ इण्टर मीडिएट परीक्षा अंक पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित वर्ष 2003 अनुक्रमांक 0503629 , विद्यालय/केन्द्र का नाम श्री निषाद राज इण्टर मीडिएट कालेज किटियांवा गौरीगंज के संस्थागत परीक्षा का प्रमाण पत्र जिसमें प्राप्तांक 365/500 , प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा उसी विद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा अंक पत्र वर्ष 2001 अनुकमांक 1294812 , संस्थागत परीक्षाथी प्राप्तांक 430/600 उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी परीक्षार्थी का नाम कु0 मीरादेवी , माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 हाई स्कूल परीक्षा 2001 अनुक्रमांक 1294812 का प्रमाण पत्र परीक्षार्थी कु0 मीरादेवी , माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इण्टर मीडिएट परीक्षा का प्रमाण पत्र परीक्षार्थी का नाम मीरादेवी दाखिल किया गया है। तथा दिनांक 14.11.2005 का नटोरियल शपथ पत्र हस्ताक्षरित मीरादेवी प्रस्तुत किया गया है । जिसकी धारा–2 में अंकित है कि समस्त प्रकार के प्रस्तुत / संलग्न किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्य प्रमाण पत्रों की प्रतियां है । जानकी देवी के द्वारा इण्टर मीडिऐट परीक्षा अंक पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित सनू 1991 अनुक्रमांक 607863, विद्यालय/केन्द्र का नाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पारा हमीदपुर प्रतापगढ ,व्यक्तिगत परीक्षा प्राप्तांक 339 /500 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा हाई स्कूल परीक्षा अंक पत्र अनुकमांक 1387600 विद्यालय/केन्द्र का नाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेजगढ प्रतापगढ सनू 1989 , माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 हाई स्कूल परीक्षा 1989 का प्रमाण पत्र तथा इण्टर मीडिएट परीक्षा 1991 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिनी गायत्री देवी के द्वारा मीरादेवी व जानकी देवी के सम्वन्ध में जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है उसमे अनुक्रमांक 1387600 का द्वितीय अंक पत्र प्राप्त

करने के सम्वन्ध में ट्रेजरी चालान फार्म दिनांक 19.9.2006 धनराशि 20/– राजकीय कोष में जमा की गयी , जिसपर यह आख्या अंकित है कि इस वर्ष में यह अनुक्रमांक अनुदानित नही है। इससे जानकी देवी के द्वारा प्रस्तुत अनुक्रमांक 1387600 हाई स्कूल वर्ष 1989 का अंक पत्र संदिग्ध हो जाता है। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट परीक्षा सनू 1991 अनुक्रमांक 607863 का द्वितीय अंक पत्र शुल्क धनराशि में 20/– दिनांक 19.9.2006 के ट्रेजरी चालान जमा किया गया है।जिसपर भी आख्या है। इसी प्रकार कु0मीरादेवी परीक्षार्थी का इण्टर मीडिएट परीक्षा 2003 द्वितीय अंकपत्र अनुक्रमांक 503629 जिसमें प्राप्तांक 285/500 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का नाम कु0मीरादेवी तथा द्वितीय प्राप्तांक पत्र हाई स्कूल परीक्षा सनू 2001 , अनुक्रमांक 1294812 प्राप्तांक 280/600 द्वितीय श्रेणी में उत्तीण परीक्षार्थी का नाम कु0 मीरादेवी प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जानकी व मीरादेवी के द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र के साथ जो हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट का अंक पत्र प्रस्तुत किया गया है , उसमें गायत्री देवी के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्राप्तांक पत्र जिसमें द्वितीय श्रेणी में उत्तीण दिखाया गया है इस प्रकार दोनो में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में कु0 मीरादेवी तथा जानकी देवी के प्रमाण पत्रो की सचिव , माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहावाद/ वाराणसी से सत्यापित कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तथा सत्यापन आख्या आने तक कु0 मीरादेवी व जानकी देवी को शिक्षा मित्र के पद पर कार्य करने से रोका जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूकि प्रश्नगत विवाद का अन्तिम निस्तारण उपरोक्त परिस्थितियों में नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में गायत्री देवी का प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु शामिल करते हुए अन्तिम निर्णय के समय उसपर भी विचार करके न्यायोचित आदेश पारित किया जायेगा । ।

आदेश

कु0 मीरादेवी व जानकी देवी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट के प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु सचिव , माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहावाद/ वाराणसी के पास भेजा जाय । तब तक कु0 मीरादेवी व जानकी देवी को ग्रम पंचायत बैसडा विकास खण्ड भेटुआ जिला सुलतानपुर के शिक्षा मित्र पद पर सचिव , माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहावाद/ वाराणसी से उनके हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट के प्रमाण पत्रों के सत्यापन आख्या आने तक शिक्षा मित्र के पद पर कार्य करने से रोका जाता है। आदेश की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय । सत्यापन आख्या प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत की जाय ।

(वीना)
जिलाधिकारी
सुलतानपुर ।
12.10.2006